Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 4532 / 2004 / बारां

मूर्ति श्री ठाकुरजी जरिये पुजारी रामचरणदास पुत्र कमलदास जाति बैरागी नि0ग्राम जेपला तह0छबडा जिला बारां जरिये मुख्त्यारआम जयनारायणदास पुत्र रामचरणदास जाति बैरागी निवासी ग्राम जेपला तह0 छबडा जिला बारां

....अपीलांट

बनाम

1. रामभरोस पुत्र धन्नालाल
2. बबलू पुत्र जमनालाल
   जाति नाई निवासी ग्राम जेपला तह0छबडा जिला बारां
3. राजस्थान सरकार

.....रेस्पोडेन्ट्स / प्रतिवादी

खण्ड पीठ
श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री रवि प्रकाश शर्मा, सदस्य

उपस्थित–
श्री राजेश गौतम, अभिभाषक अपीलांट
श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

दिनांक 25.4.2018

निर्णय

यह द्वितीय अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 195 / 2003 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11–8–2004 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री दिनांक 2–9–2003 द्वारा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया। साथ ही यह आदेश पारित किया कि 'यह स्थाई निषेधाज्ञा मंदिर के पक्ष में दी जाती है न कि पुजारी के पक्ष में। संबद्ध राजस्व अधिकारी नियमानुसार खाते से पुजारी का नाम हटाने अथवा तदनुरूप पुजारी नियुक्त करने हेतु गठित समिति को सौंपने हेतु स्वतंत्र रहेंगे।' विचारण न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 11–8–2004 द्वारा यह आदेश पारित किया कि 'अपील अपीलांट आंशिक रूप से इस आशय तक अपीलाधीन निर्णय में जारी स्थायी निषेधाज्ञा मंदिर के स्थान पर माफी मंदिर श्री ठाकुर जी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी की जाती है, सम्बन्धित संशोधन किया जाना स्वीकार कर शेष अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जाता है।' प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 11–8–2004 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलांट पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क है कि अपीलांट ने विवादित भूमि बाबत वाद मंदिर की संरक्षक की हैसियत से प्रस्तुत किया था तथा अपीलांट मंदिर का पुजारी है तथा कई वर्षो से मंदिर की सेवा पूजा एवं व्यवस्था करता आ रहा है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में संरक्षक से भूमि छीनने एवं गठित समिति द्वारा पुजारी नियुक्त करने का आदेश पारित करने में भारी भूल की है। उनका यह भी कथन है कि अपीलांट का विवादित भूमि पर माफी रिज्यूम से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा अपीलांट मंदिर का पुजारी है ऐसी स्थिति में जो आदेश पारित किया है वह सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है, ना कि राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से बाहर निर्णय पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आक्षेपित निर्णय व डिक्री टी0आई0 की

हद तक यथावत रखकर शेष निर्णय निरस्त कर अपीलांट/वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

4. रेस्पोडेन्ट पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलांट पक्ष के तर्को का विरोध किया एवं अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

5. दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट पक्ष की ओर से प्रस्तुत सम्मानित न्यायिक विनिश्चिय 2012 आरआरडी पेज 707 का आदरपूर्वक अवलोकन किया। तत्पश्चात् हमारा निष्कर्ष निम्न प्रकार से है।

6. अपीलांट/वादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष दावा के साथ प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2054–57 एग्जीबिट–1 में यह नोट लगा हुआ है कि पुजारी रामचरणदास पुत्र कमलदान कौम बैरागी का नाम खाते से खारिज हुआ। जब दावे के साथ जो जमाबंदी पेश की है, जो कि बेसिक ऑफ सूट है, उस जमाबंदी में ही पुजारी रामचरणदास का नाम खाते से खारिज करने का अंकन है, तो ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने अपने आक्षेपित आदेश में यदि पुजारी के संबंध में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी मंदिर के हितों को दृष्टिगत रखते हुए कर दी है तो इसमें हमें कोई विधि की भूल या त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। दूसरा दोनों अधीनस्थ न्यायालय के जो निष्कर्ष हैं वो समवर्ती हैं जिनमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किये जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। अपीलांट पक्ष की ओर से प्रस्तुत सम्मानित न्यायिक विनिश्चय तथ्यों की भिन्नता के कारण हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है।

6. फलस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11–8–2004 बहाल रखे जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि प्रकाश शर्मा)
सदस्य

(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष